रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1323] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 1, 2019/चैत्र 11, 1941
No. 1323] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 1, 2019/CHAITRA 11, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2019

सं. 31/2019

का.आ. 1495(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 139क क की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा अधिसूचित करती है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जिसे 01 जुलाई, 2017 की स्थिति के अनुसार स्थायी खाता संख्या आवंटित किया गया है और जो आधार संख्या प्राप्त करने हेतु पात्र है, उसे अपने आधार संख्या की सूचना प्रधान आयकर महानिदेशक (सिस्टम) द्वारा जारी दिनांक 29 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 7 में विनिर्दिष्ट फार्म तथा पद्धति में 30 सितंबर, 2019 तक प्रधान आयकर महानिदेशक (सिस्टम) अथवा प्रधान आयकर निदेशक (सिस्टम्स) को देनी होगी।

2. यह अधिसूचना उन व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के ऐसे वर्ग अथवा किसी राज्य अथवा किसी राज्य के पार्ट, जो/जिन्हें अधिनियम की धारा 139 क क की उपधारा (3) के अन्तर्गत विशेष रूप से अलग रखा गया है, के लिए लागू नहीं होगी।

3. तथापि, उपरोक्त पैरा 1 में पैन के साथ आधार संख्या लिंक करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2019 तक बढ़ाए जाने के बावजूद, परिपत्र संख्या 2019 के 6 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से धारा 139 क क(1)(ii) के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित आय विवरणी दायर करते समय आधार संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है जब तक कि अधिनियम की धारा 139 क क की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी किसी अधिसूचना के अनुसार विशेष रूप से छूट नहीं दी गई

हो। यह भी स्पष्ट किया गया है कि इलैक्ट्रानिक्स रूप से अथवा मैनुअली दायर की जा रही विवरणियों को आधार संख्या का उल्लेख किए बिना दायर नहीं किया जा सकता है।

[फा. सं. 225/75/2019-आईटीए-II/अधिसूचना सं. 31/2019]

राजाराजेश्वरी आर, अवर सचिव (आईटीए-II), सीबीडीटी